1

LOK SABHA

Wednesday, July 23, 1969/Sravana 1, 1891

(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन में जाने वाले आप्रवासियों पर ब्रिटेन के उच्च आयोग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध

*61. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत स्थित ब्रिटेन का उच्च आयोग भारत सरकार द्वारा जारी किये गये पारपत्रों को मान्यता प्रदान नहीं करता बल्कि उसमें दिये गये तथ्यों के सत्यापन के लिए और प्रमाण भी मांगता है और इस प्रकार वह खुले आम भारत सरकार के प्रति अनादर दर्शाता है ;

(ख) क्या भारत स्थित ब्रिटेन के उच्च आयोग ने भारत में कार्य करने वाली विमान कम्पनियों और यात्रा-अभिकर्ताओं को इस आशय के आदेश दिये हैं कि ब्रिटेन में बसने का इच्छुक राष्ट्रमंडलीय देश का प्रत्येक नागरिक प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ ही आना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

2

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Government are not aware of any instance where the British High Commission have not recognized the passport issued by the Government of India.

(b) Yes, Sir. However the letter is in respect of persons going to Britain for settlement as dependent relatives of a resident.

(c) We have to watch the working of these regulations for some time before coming to any conclusion whether they really serve the purpose for which the British Government say they have been promulgated.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गवर्नमेंट के जवाब को सुनकर बहुत ही हार्दिक खेद है। भारतवर्ष जैसे विशाल देश को स्वाभिमान और सम्मान के साथ संसार में रहना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सत्यता यह है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर के यहां रोजाना ऐसी बातें होती हैं और वह इसकी जांच करा सकते हैं कि जो पासपोर्ट यहाँ बनते हैं और जो डाक्युमेंट्स हमारी गवर्नमेंट की ओर से पास हो जाते हैं उन पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर के दफ्तर में हर बात पर पुनः जांच होती है और वह उनसे उसमें दिये गये तथ्यों के सत्यापन के लिए और प्रमाण भी मांगता है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को प्रमाण दे सकता हूं। एक सज्जन अभी अपनी मां के लिए प्रमाणपत्र लेने वहाँ पर गए थे तो उनसे कहा गया कि वह साबित करें कि उनकी मां की शादी उनके बाप के साथ कब हुई थी ? उनकी माँ की शादी कब

हुई थी इस बात का प्रमाण लावें । उन महाशय से इस तरह का प्रमाण भारत स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग द्वारा तलब किया गया । इसी प्रकार का एक प्रमाण मैं यह देना चाहता हूं कि एक डाक्टर भल्ला का मामला था । स्टेट्समैन में उसका ऐडीटोरियल आया था । उसके पास इंगलैण्ड का वीसा था । वह कैनाडा जा रहा था । रास्ते में अपनी बहन से मिलने के लिए वह लंदन के हवाई अड्डे पर रुक कर लंदन में वह 2 घंटे रुकना चाहता था ताकि वह अपनी बहन से मिल सके लेकिन ब्रिटिश ऐथारिटीज ने मना कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण था जिसके कारण उन्हें मना कर दिया गया ? क्या मंत्री महोदय के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और क्या भारत सरकार ने इस बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछगछ की है, यदि शिकायत की है तो उनका क्या जवाब भारत सरकार के पास आया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य को इसमें थोड़ा कनफ्युजन हो गया मालूम होता है । यह पासपोर्ट का सवाल नहीं है । भारत सरकार द्वारा जो भी पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को दिये जाते हैं उन्हें ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा मान्यता दी जाती है । अलबत्ता वह जो इन्क्वायरी या तसदीक कराते हैं वह उन केसेज में कराते हैं जिनमें कि यहाँ से लोग वहाँ जाकर सैटिल होना चाहते हैं, सैटिल होने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं । उसके सम्बन्ध में कुछ बातें मालूम करनी होती हैं और उसके लिए ऐडीशनल इनफौरमेशन उनसे लेते हैं । जैसा मैंने कहा माननीय सदस्य के दिमाग में इसको लेकर एक कनफ्युजन सा पैदा हो गया है ।

जहाँ तक भल्ला के केस का सम्बन्ध है वाकया यह है कि वह जब लंदन पहुँचे तो वहाँ की इम्मीग्रेशन ऐथारिटीज को ऐसा शुबहा हुआ कि वह यहाँ शौर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं बल्कि वह यहाँ ठहरने के खयाल से आ रहे हैं । जब उन्होंने इनक्वायरी की तो पहली बात तो उन्हें यह मालूम हुई कि भल्ला के पास कैनाडा जाने के लिए सिर्फ वन वे टिकट था । कायदा यह है कि जो सज्जन यहाँ से कैनाडा शौर्ट टर्म पर जाते हैं वह वहाँ तब ही जा सकते हैं जब उन के पास रिटर्न टिकट हो लेकिन इन महाशय के पास रिटर्न टिकट नहीं था जिससे कि उनको शुबहा हुआ । दूसरी बात जिससे कि यह शुबहा पैदा हुआ कि वह वहां मुस्तकिल तौर पर रहना चाहते हैं वह इस कारण हुआ कि उन्होंने जो रूट अखत्यार किया वहां पहुंचने का वह वाया ब्रुसैल्स होकर था । यह वह रूट है जहाँ से इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स यू०के० को जाते हैं । डाक्टर भल्ला उस रूट से नहीं गये जिससे कि उनको आम तरीके से जाना चाहिए था इसलिए भी उन्हें शुबहा हुआ । इसके अलावा उनके पास एक खत उनकी बहन का मौजूद था जिसके अन्दर कुछ ऐसे अल्फाज़ लिखे हुए थे जिसने कि शुबहा पैदा किया उस खत में उन्हें यह लिखा गया था कि वह जब इम्मीग्रेशन ऐथारिटीज के पास जायें तो यह कहें कि वह वहाँ पर 1, 2 रोज के लिए आए हैं । इसलिए जब वहां के आफिसर्स ने ऐसा उस खत में लिखा हुआ देखा तो उनको लामुहाला शुबहा हुआ । यह तीन, चार बातें थीं जिनसे कि उन्हें मालूमात करनी पड़ी, तहकीकात करनी पड़ी और उससे देर हुई ।

एक माननीय सदस्य : वह पत्र कैसे ऐथारिटीज ने पढ़ लिया ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह तो मुझे मालूम नहीं कि वह खत उन्होंने अपने आप दिया या उनकी जेब में से निकाला गया लेकिन यह तहकीकात थी जिसकी वजह से उन्हें रोकना पड़ा । जब उनके ब्रदर-इन-ला ने टिकट खरीद दिया तब उनको जाने की इजाजत मिली । वह व्यक्ति जो कि यहाँ से शौर्ट टर्म के लिए बतौर टूरिस्ट के या बिजनैस के काम से यू०के० जाते हैं उनके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ उन लोगों के लिए दिक्कत पड़ती है जो कि मुस्त-

किस तरीके से वहां पर रहना चाहते हैं और जाहिर है कि ऐसे लोगों की जांच-पड़ताल वहां पर काफी होती है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उनके पास ऐसा लैटर था तो इसके मानी तो यह हुए कि उनकी तलाशी ली गई। अब एक आदमी जहां से कैनाडा जा रहा हो। कैनाडा का उसके पास टिकट हो, बाकायदा वीसा हो, उसके साथ इस तरह से पेश आया जाय तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह लैटर उसने ऐथारिटीज् को अपने आप दिखाया या उनकी तलाशी ली गई उस बारे में क्या मंत्री महोदय ने जानकारी प्राप्त की है ?

दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि यह एक नया कानून प्रमाणपत्र लेकर जाने का ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। कौमनवैल्थ कंट्रीज में पहले एंट्री परमिट ले जाने का कोई कायदा नहीं था लेकिन अब यह नया नियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो भी भारतीय वहां जायगा वह यहां से प्रमाणपत्र लेकर जायगा, एंट्री सर्टिफिकेट लेकर जायगा। मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या यह प्रमाणपत्र ले जाने का नियम जितने भी कौमनवैल्थ कंट्रीज हैं उन सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया हैं या यह केवल भारतवर्ष के लिए लागू किया है और यदि यदि केवल भारतवर्ष के लिए इसे लागू किया है तो क्या ऐसा उन्होंने भारत सरकार की सम्मति से किया है, यदि वैसा नहीं किया है तो मंत्री महोदय ने वहां की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ क्या लिखा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इसमें सिर्फ यह उठता है कि हमारे यहां से काफी लोग जाकर यू के में बसना चाहते हैं और इस वजह से वह वहां पर कुछ जांच पड़ताल या तहकीकात करते हैं और कुछ रोक करते हैं। मैं नहीं समझता कि वह यहां से क्यों जाना चाहते हैं ? इतना बड़ा देश है उन्हें अपने देश में रहना चाहिए और मेरी समझ में नहीं आता कि बाहर जाकर दूसरे देश में बसने के लिए वह इतने उत्सुक क्यों हैं ? (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : वह लोग क्या वहां रहने के लिए जाना चाहते हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वह इतने परेशान क्यों हैं ? जो मैं कह रहा हूं उसे वह सुनें ।

श्री हुकमचन्द कछवाय : आप यहां लोगों को काम नहीं दे सकते हैं, बेकारी से तंग आकर उन्हें जाना पड़ता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order order. Question Hours is meant to get information from the Government. If you interrupt the Minister will not be able to reply. Let him say what he has to say.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यहां से लोगों को जाना इस गवर्नमेंट के लिए क्या शोभनीय है ? भला कोई भी आदमी खुशी से जाता है ? वह बेचारे काम की तलाश में मजदूरी के लिए और स्थानों पर जा रहे हैं। हमारे देश में बेकारी की हालत यह है कि आज 50,000 इंजीनियर्स बगैर इम्प्लायमेंट के हैं और मंत्री महोदय को आश्चर्य होता है कि लोग यहां से जा क्यों रहे हैं ?

श्री रामसेवक यादव : हमारे बहुत से लोग जो कि साइन्स की अच्छी डिग्री रखने वाले हैं वह विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। वह यहां पर काम करना चाहते हैं लेकिन यह गवर्नमेंट उन्हें काम नहीं दे पा रही है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. This is not the way. If you are not satisfied with his reply there are other ways. Please do not interrupt like this.

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से कहूं कि इसी से कठिनाई बढ़ती है जब वह कहते हैं कि इतने

लोग वहां जाना चाहते हैं तो वहाँ की सरकार और परेशान हो जाती है कि आखिर कितने लोग हमारे यहाँ आयेंगे, माननीय सदस्यों के इस तरह की बातें कहने से परेशानी बढ़ती है। जैसा अभी मेरे साथी ने सदन को बताया कि जो लोग यहां से वहाँ पर थोड़े दिन के लिए जायें या किसी काम से जायें, घूमने आदि के लिए शौर्ट टर्म पर जायं तो उन्हें जाने में कठिनाई नहीं आती है अलबत्ता जो लोग वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं सैटिल होना चाहते हैं उन्हें दिक्कत आती है क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती है कि बड़ी तादाद में बाहर से लोग यहां आकर बस जायं। जहाँ तक हमारी अपनी यहां की दिक्कते हैं और समस्याएँ हैं तो वह इस तरह से बाहर चले जाने से दूर थोड़े ही हो जाती है।

जहाँ तक माननीय सदस्य की उस बात का सवाल है जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है तो यह तो उनके लिए है जोकि कौमनवेल्थ सिटीजंस वहाँ पर जाना चाहते हैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहने के लिए इसके लिए क्या तरीके हैं, किस तरह से इसमें जाँच होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में हैं और वह कामनवेल्थ के सब सिटीजेन्स के लिए अप्लाई करता है। वह उन लोगों के लिए है जिनके रिश्तेदार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और बाकी यहाँ से जाकर वहाँ उनके साथ बसना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या यह नियम कैनाडा, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के उन गोरे लोगों पर भी लागू है जो कामनवैल्थ में रहते हैं और इंग्लैंड में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : आप खुद देखिये कि कामनवैल्थ सिटिजेन लिखा हुआ है। जिनको आप कामनवैल्थ सिटिजेन कहें उन सब पर वह लागू होता है।

श्री सीताराम केसरी : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि आज जो एक तरह से एंट्री पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध की बात चली है, क्या वह मि० पावेल के, जो कि हाऊस ऑफ कामन्स के मेम्बर हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, ऐन्टी कलर्ड पीपल का नारा बुलन्द करने के कारण चली है और क्या उस पृष्ठभूमि में यहां के लोगों के द्वारा वहाँ की यात्रा पर अवरोध उत्पन्न किया गया है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपके यहां से कुछ इस तरह के पासपोर्ट इश्यू हुए हैं जो जाली ढंग से इश्यू हुए हैं, जिसकी खबर ब्रिटिश सरकार को लगी और उसके कारण उन्होंने पासपोर्ट्स की छानबीन शुरू की है ?

श्री दिनेश सिंह : अभी मेरे साथी ने कहा कि पासपोर्ट की छानबीन उन्होंने क्यों शुरू की है। जब लोग वहां पर जाते हैं तब अगर वह एन्ट्री परमिट लेकर जायें तो कोई कठिनाई नहीं होगी। जब वह बिना एन्ट्री परमिट के जाते हैं तब वहां की इम्मिग्रेशन अथारिटीज अपना जजमेंट लगाती हैं कि वहां वह उनको आने दें या न आने दें। जब एंट्री परमिट का रूल बना हुआ है तब जो जाना चाहें वह एंट्री परमिट ले कर जायें। ऐसी स्थिति में कोई कठिनाई नहीं होगी।

दूसरा सवाल यह किया गया कि क्या यह मि० पावेल की वजह से हुआ ? मैं नहीं कह सकता कि ब्रिटिश सरकार किसके कहने से इस तरह के प्रतिबन्ध लगाने की बात सोचती है। लेकिन जो कुछ भी दबाव उनके ऊपर हो, वह कई सालों से धीरे-धीरे इस तरह के प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह सभी लोगों की जानी हुई बात है कि इस समय इंग्लिस्तान में दो किस्म के कामों के लिए हमारे यहां के लोग बड़े पैमाने पर जाते हैं। एक तो ऐसे काम हैं जिनको गोरे लोग करने के लिये तैयार नहीं हैं

आजकल, जैसे सफाई आदि का काम, मिलों के अन्दर गन्दे काम, बसों में ड्राइवरों और कन्डक्टरों का काम, जिनमें कई बार दो तीन शिफ्ट में काम करना पड़ता है। यह सब काम इस समय गोरी चमड़ी वाले लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरे डाक्टरी और इंजीनियरी पास हमारे यहां के नौजवान भी वहां जाते हैं, जिनकी पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च होते हैं देश के —मां-बाप के तो थोड़े बहुत ही खर्च होते होंगे लेकिन देश के लाखों रुपये एक एक डाक्टर और इंजीनियर को तैयार करने में खर्च होते हैं।

इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ तो हमारे देश के लोगों का वहां पर अपमान होता है, जो कि वहां पर गन्दे कामों में फंसे होते हैं और दूसरी तरफ जो डाक्टर आदि उधर रह गये हैं उनके द्वारा हमारे देश की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति एक अन्य ढंग से लूटने का काम इंग्लैंड, कैनाडा, अमरीका आदि मुल्कों की सरकारें और वहां के लोग करते हैं। इन दोनों चीजों में हमें एक तरफ तो पावेलिज्म दिखाई दे रहा है जिसका जिक्र श्री सीताराम केसरी ने किया और दूसरी ओर हमारे मुल्क की इज्जत घटती है, तीसरे हमारे मुल्क का भी नुक्सान होता है क्योंकि जो डाक्टर हमें चाहिये वह अंग्रेज मरीजों का इलाज करते हैं, जो इंजीनियर हमें चाहिये वह वहां के बांध बनाने का काम करते हैं। इन तमाम चीजों से जो परिस्थिति बनी है उसको रोकने के लिए मैं पहली बात यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के नौजवानों को इंगलिस्तान में नौकरी करने के लिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाएगी जिससे न हमारे मुल्क की बेइज्जती हो और न हमारी पूंजी का इस्तेमाल वहां पर हो बल्कि उनका इस्तेमाल हमारे मुल्क को बनाने के लिए हो?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सारी परिस्थिति को मद्देनजर रखकर जिस कामनवेल्थ में हम सेकेन्ड और थर्ड रेट नेशन की हैसियत से रह रहे हैं उसको तिलांजलि देकर उससे बाहर निकलने का काम करेगी?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक कामनवेल्थ से निकलने का सवाल है, हम कामनवेल्थ में रहें या न रहें, इससे सवाल हल नहीं होता है। माननीय सदस्य ने जिन दो कटेगरीज का जिक्र किया, जिसके लोग वहां जाते है, उससे एक तो हमारे देश की प्रतिष्ठा कम होती है और दूसरे हमारे यहां से ब्रेन ड्रैन होता है। इन दोनों कटेगरीज के लोग वहां न जायें तो अच्छा है। अभी मेरे इशारे से ही इतना शोर मच गया था। एक तरफ इतना शोर मच गया और दूसरी तरफ अभी माननीय सदस्य ने जो कहा.....

श्री रवि राय : यहां उनके एम्पलायमेंट की व्यवस्था कीजिए।

श्री दिनेश सिंह : इन माननीय सदस्य के खिलाफ श्री यादव ने कुछ नहीं कहा। मेरे इशारे पर वह इसने परेशान हो रहे थे। यह समस्याएँ सरकार के विचाराधीन हैं कि उनके जाने पर प्रतिबन्ध लगे, उनको यहाँ काम मिले। किस तरह से इसमें सफलता हो सकती है। इन सब बातों पर सरकार विचार जरूर करती रहती है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपका समाधान इस उत्तर से हो गया। विचार करती रहती है, यह कोई उत्तर हो गया? आखिर हम किस लिए प्रश्न पूछते हैं?

MR. DEPUTY SPEAKER : So far as the two categories of persons are concerned, he has given a complete answer. So far as the Commonwealth is concerned, it does not aries out of this question.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आज बाइस वर्षों से यह हुकूमत सोच रही है।

SHRI M. B. RANA : The quota of immigrants to United Kingdom from Malta,

which is a small country as compared to India, is much more than the quota for India. What is the reason for this distinction ?

SHRI DINESH SINGH : I cannot say anything about the quota system which the hon. Member is mentioning.

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया आन्तरिक व्यापार

*62. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी राज्य व्यापार निगम अभी तक देश में बहुत कम आन्तरिक व्यापार कर सका है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य व्यापार निगम ने देश में कितना व्यापार किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम के क्षेत्र को बढ़ाने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सरकार की नीति निर्यात, तथा आवश्यक कच्चे माल के आयात के क्षेत्र में भी, राज्य व्यापार निगम के कार्य-क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार करने की है। निस्सन्देह राज्य व्यापार निगम, समय-समय पर लोक-हित में आवश्यक प्रतीत होने पर, विशिष्ट मदों के आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में अपने कार्यकलापों को जारी रखेगा।

निगम द्वारा किये गये आन्तरिक व्यापार का मूल्य वर्ष 1967-68 में 1.83 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 4.55 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष में राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन के समीकरण भंडार का कार्य आरम्भ करने पर इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की सम्भावना है।

श्री क० मि० मधुकर : आजकल हमारे नेता लोग, खासकर मंत्रीगण कहते हैं कि विकास के कार्यों के लिए पैसा नहीं मिलता। इसके लिए आपने एक कदम तो उठाया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आप चाहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन देश के व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाये, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। इसका कारण या तो यह है कि आपकी नीति दोषी है या फिर इसमें ऐसे अफसर घुसे हुए हैं जो चाहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का विकास न हो। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिये व्यापार की क्या स्थिति है और उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

मंत्री महोदय ने कहा कि इसके विकास के लिए सरकार कदम उठा रही है लेकिन फिर भी अपने देश में आज एस. टी. सी. ने व्यापार के मामले में निर्णायक भूमिका अदा नहीं की है। मैं जानना चाहूंगा कि कौनसा तरीका ऐसा है जिससे स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन निर्णायक हो जाये, और इस समय इसमें जो ऐसे अफसर हैं जो नहीं चाहते कि इसका विकास हो उनके बारे में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसे अफसर हैं भी या नहीं ? जहां तक मैं जानता हूं वह हैं, जो नहीं चाहते कि इसका विकास हो।

आखीर में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिससे अन्न का थोक व्यापार एस० टी० सी० के जरिये होने लगे ?

श्री ब० रा० भगत : अन्य व्यापार या अन्न व्यापार।

एक माननीय सदस्य : अन्य व्यापार।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक आन्तरिक व्यापार का सवाल है मैंने बताया है कि एस० टी० सी० अपने आयात और निर्यात के व्यापार में अधिक-से-अधिक कमांडिंग हाइट्स कंट्रोल कर